

न्यायालय—सिविल जज (सीनियर डिवीजन) वाह्य न्यायालय, मोहम्मदी

लखीमपुर खीरी।

प्रारम्भिक दीवानी वाद सं०—01/2023

CNR No UPLP10014668-2023

अनीमुल्ला खां बनाम अकरम आदि

**10.07.2026**

पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी। पुकार पर उभयपक्ष अनुपस्थित हैं न ही उभयपक्षों की तरफ से उनके विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हैं, न ही उभयपक्षों की तरफ से कोई स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। वादी पक्ष विगत कई तिथियों से अनुपस्थित चल आ रहा है, न ही वाद की पैरवी की जा रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि उभयपक्षों को अपने वाद के संचालन में कोई रुचि नहीं रह गयी है। अतः उपरोक्त प्रारम्भिक दीवानी वाद उभयपक्षों की अनुपस्थिति में बल अभाव में खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(श्रद्धा भारतीय)

यू०पी०१९६४

सिविल जज (सी०डि०)

मोहम्मदी—खीरी

10.07.2026